

दिनांक 20.11.2019 को दोपहर 12:00 बजे श्री आर.एस. वर्मा, भा0प्र0से0, उपायुक्त रोहतक की अध्यक्षता में NGT के आदेश दिनांक 06.03.2019 की अनुपालना हेतु/जिला स्तरीय निगरानी समिति, रोहतक की ग्यारहवीं बैठक की कार्रवाई रिपोर्ट

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:-

1. श्री प्रदीप गोदारा, भा0प्र0से0, आयुक्त, नगर निगम रोहतक।
2. श्री महेश कुमार, नगराधीश, रोहतक।
3. श्री विशाल बंसल, अधीक्षक अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, रोहतक।
4. श्री बी.एस. नारा, अधीक्षक अभियंता, सिचाई विभाग, रोहतक।
5. श्री मंजीत दहिया, कार्यकारी अभियंता (मुख्यालय), नगर निगम, रोहतक।
6. श्री रणजीत मलिक, कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, रोहतक।
7. श्री भानू प्रकाश, कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, रोहतक।
8. डा0 सत्यवान, उप सिविल सर्जन, स्वास्थ्य विभाग, रोहतक।
9. श्री राजेश कुमार, संयुक्त निदेशक, इंडस्ट्रीज, रोहतक।
10. श्री आशीष कुमार, खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, रोहतक।
11. श्री रणबीर शर्मा, Dy. Registrar (Admin), महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक।
12. श्री परमिन्द्र वर्मा, DMS, PGIMS, रोहतक।
13. श्रीमति गीता दलाल, प्रधानाचार्य, शिक्षा विभाग, रोहतक।
14. श्री अरुण नांदल, सचिव, नगर पालिका सांपला।
15. श्री आशिष कुमार, सचिव, नगर पालिका, महम।
16. श्रीमती सुमन लता, कुमार, सचिव, नगर पालिका, कलानौर।
17. श्री रवीन्द्र यादव, AEE, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बहादुरगढ़।
18. श्री विजेन्द्र सिंह, उपमण्डल अभियंता, सिचाई विभाग, रोहतक।
19. श्री संजीव दहिया, उपमण्डल अभियंता, सिचाई विभाग, रोहतक।
20. श्री सुमित मलिक, सहायक नगर योजनाकार, टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग विभाग, रोहतक।
21. श्री अजय गोदारा, PGIMS, रोहतक।
22. श्री महाबीर सिंह, मुख्य सुफाई निरीक्षक, नगर निगम, रोहतक।


बैठक में सभी का स्वागत करते हुए पूर्व में दिये गए निर्देशों की प्रगति की समीक्षा की गई:-

1. बैठक में अध्यक्ष महोदय को सूचित किया गया कि माननीय NGT व Waste Management Rules की पालना के लिए पहले निम्नलिखित दस बैठक आयोजित की जा चुकी है:-
 1. दिनांक 12.04.2019
 2. दिनांक 29.04.2019
 3. दिनांक 09.05.2019
 4. दिनांक 28.05.2019
 5. दिनांक 18.06.2019
 6. दिनांक 08.07.2019
 7. दिनांक 26.07.2019
 8. दिनांक 05.08.2019
 9. दिनांक 21.08.2019
 10. दिनांक 20.11.2019

2. माननीय NGT के आदेश OA No.540/2019 में दिये गए आदेशों की पालना तथा माननीय मुख्य सचिव हरियाणा द्वारा दिये गए आदेशों की दृढ़ता से पालना करवाने हेतु सम्बन्धित विभागों को निम्नलिखित आदेश दिये गए:-

1. हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण स्थित सैक्टरों में ग्रीन बैल्ट, ओपन स्पेस तथा पार्को में से अवैध स्ट्रक्चर/अतिक्रमण की निर्धारित प्रोफार्मा अनुसार विस्तृत रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देश दिये।
2. लोक निर्माण विभाग (भवन तथा मार्ग शाखा) के अधिकारियों को उनके विभाग से सम्बन्धित राजमार्ग, अनुसूचित सड़क व अन्य सड़कों के साथ ग्रीन बैल्ट, ओपन स्पेस, पार्को में से अवैध स्ट्रक्चरों को तोड़ने की कार्रवाई रिपोर्ट, पुराने नियमित/अनाधिकृत स्ट्रक्चर को तोड़ने की कार्रवाई रिपोर्ट निर्धारित प्रोफार्मा में भिजवाने हेतु निर्देश दिये।
3. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को उनके विभाग से सम्बन्धित राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ ग्रीन बैल्ट, ओपन स्पेस, पार्को में से अवैध स्ट्रक्चरों को तोड़ने की कार्रवाई रिपोर्ट, पुराने नियमित/अनाधिकृत स्ट्रक्चर को तोड़ने की कार्रवाई रिपोर्ट निर्धारित प्रोफार्मा में भिजवाने हेतु निर्देश दिये।
4. टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग विभाग के अधिकारियों को जिले में विभिन्न स्थानों/मार्गों के साथ ग्रीन बैल्ट, ओपन स्पेस, प्ले ग्राउण्ड व पार्को में से अवैध स्ट्रक्चरों को तोड़ने की कार्रवाई रिपोर्ट, पुराने नियमित/अनाधिकृत स्ट्रक्चर को तोड़ने की कार्रवाई रिपोर्ट निर्धारित प्रोफार्मा में भिजवाने हेतु निर्देश दिये।
5. नगर निगम रोहतक, सचिव, नगर पालिका सांपला/महम/कलानौर को भी उनसे सम्बन्धित ओपन स्पेस, प्ले ग्राउण्ड व पार्को में से अवैध स्ट्रक्चरों को तोड़ने की कार्रवाई रिपोर्ट, पुराने नियमित/अनाधिकृत स्ट्रक्चर को तोड़ने की कार्रवाई रिपोर्ट निर्धारित प्रोफार्मा में भिजवाने हेतु निर्देश दिये।
6. सभी अधिकारी C&D waste को नियमानुसार निदान करना सुनिश्चित करें तथा उसके निर्धारित स्थल पर ही डाला जायें। यदि किसी भी कार्यालय द्वारा अवहेलना की जाती हैं तो उस पर जुर्माना सुनिश्चित किया जायें।
7. बैठक में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण व HSIIDC के अधिकारियों की अनुपस्थिति को गंभीरता से लिया गया तथा उनके स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश दिये गये।
8. प्लास्टिक वेस्ट व ई-वेस्ट नगर निगम, रोहतक रजिस्ट्रड Recycler को दिया जायें, यदि किसी भी कार्यालय के प्रांगण में प्लास्टिक वेस्ट व ई-वेस्ट पाया जाता है तो उस पर जुर्माना सुनिश्चित किया जायें।

अध्यक्ष महोदय द्वारा उपरोक्त सभी विभागों के अधिकारियों को निर्धारित प्रोफार्मा में दिनांक 20.11.2019 को सांय 4:00 बजे तक माननीय मुख्य सचिव द्वारा दिये गए निर्देशों की पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देश देते हुए बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों का धन्यवाद करते हुए बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।


उपायुक्त,
रोहतक।

पृ० क्रमांक २१८० - २२१०

दिनांक २०/११/१९

इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को भेजते हुए लिखा जाता है कि मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार व NGA द्वारा इनकी नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है। अतः इसे गम्भीरता से लेते हुए दिए गए निर्देशानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें:-

1. महापौर, नगर निगम रोहतक।
2. प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, रोहतक।
3. आयुक्त, नगर निगम रोहतक।
4. नगराधीश, रोहतक।
5. सम्पदा अधिकारी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, रोहतक।
6. रजिस्ट्रार, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक।
7. रजिस्ट्रार, PGIMS, रोहतक।
8. CMO, रोहतक।
9. R.O., हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण कन्ट्रोल बोर्ड, बहादुरगढ़।
10. डायो सुखबीर, Dy. M.S., PGIMS, रोहतक।
11. अधीक्षक अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, रोहतक।
12. अधीक्षक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा मार्ग शाखा) रोहतक।
13. अधीक्षक अभियन्ता, सिचाई विभाग, रोहतक।
14. GM, हरियाणा परिवहन विभाग, रोहतक।
15. GM, HSIIDC, Rohtak.
16. जिला नगर योजनाकार, टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग विभाग, रोहतक।
17. कार्यकारी अभियन्ता, डिविजन न. 1, 2 व 3, जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, रोहतक।
18. कार्यकारी अभियन्ता, डिविजन न. 1, 2 व 3, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा मार्ग शाखा) रोहतक।
19. कार्यकारी अभियन्ता, HSAMB, Rohtak.
20. कार्यकारी अभियन्ता (मुख्यालय), नगर निगम रोहतक।
21. कार्यकारी अभियन्ता - I & II, नगर निगम रोहतक।
22. जिला शिक्षा अधिकारी, रोहतक।
23. जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, रोहतक।
24. सचिव, नगर पालिका, महम, कलानौर व सांपला।
25. प्रधान, नगर पालिका, महम, कलानौर व सांपला।
26. सचिव, मार्केट कमेटी, रोहतक।

उपायुक्त,
रोहतक।

दिनांक २०/११/१९

पृ० क्रमांक २२११ - २२१९ / CFA

इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा मार्ग शाखा) चण्डीगढ़।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, चण्डीगढ़।
3. प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, पंचकूला।
4. मुख्य प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकूला।
5. मुख्य प्रशासक, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंचकूला।
6. महानिदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, पंचकूला।
7. जिला एवम् सत्र न्यायाधीश, रोहतक।
8. पुलिस अधीक्षक, रोहतक।

उपायुक्त,
रोहतक।